रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 2014/चैत्र 26, 1936
No. 212] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 2014/CHAITRA 26, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2014

परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से)

संशोधन) योजना, 2014

सा.का.नि. 282(अ). —केंद्र सरकार, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) स्कीम, 1993 का एतद्वारा संशोधन करती है, अर्थातः-

1. इस स्कीम का नाम विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्त तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम, 2014 है।

2. यह स्कीम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू मानी जाएगी।

3. विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र की मार्फत) योजना, 1993 में;

पैराग्राफ 3(1) (ख) (ख) "वे विदेश में सूचीयन होने से पूर्व प्राथमिक एक्सचेंज की अपेक्षाओं के अतिरिक्त सेबी की प्रगटन अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेंगी," शब्दों के स्थान पर "ये जब भारत में सूचीयन हेतु आवेदन करेंगे तब सेबी की प्रगटन अपेक्षाओं का पालन करेंगे।" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगें।

[फा.सं.4/13/2012-ईसीबी]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणीः

(1) मुख्य स्कीम अर्थात्; विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) स्कीम, 1993, तारीख 12 नवम्बर, 1993/21 कार्तिक, 1915 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3 – उपखण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 700 (इ) तारीख 12 नवम्बर, 1993)।

(2) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम 1999 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 11 नवम्बर, 1999/20 कार्तिक, 1921 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3 – उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 764 (इ) तारीख 10 नवम्बर, 1999)।

(3) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम 1999 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 19 जून, 2000/29 ज्येष्ठ 1922 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3 – उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 544 (इ) तारीख 16 जून, 2000)।

(4) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-II 2000 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 14 नवम्बर, 2000/23 कार्तिक 1922 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3 – उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 865 (इ) तारीख 10 नवम्बर, 2000)।

(5) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-III 2000 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 14 नवम्बर, 2000/23 कार्तिक 1922 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3 – उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 866 (इ) तारीख 10 नवम्बर, 2000)।

(6) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम 2001 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 21 सितम्बर, 2001/30 भाद्र 1923 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3 – उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 687 (इ) तारीख 18 सितम्बर, 2001)।

(7) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम 2002 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 13 फरवरी, 2002/24 माघ 1923 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3 – उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 100 (इ) तारीख 13 फरवरी, 2002)।

(8) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-II 2002 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 30 जूलाई, 2002/8 श्रावण 1924 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3 – उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 532 (इ) तारीख 29 जुलाई, 2002)।

(9) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-III 2002 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 2 दिसम्बर, 2002/11 अग्रहण 1924 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3 – उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 789 (इ) तारीख।

(10) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-I 2005 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 31 अगस्त, 2005/9 भाद्र 1927 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3 – उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 553 (इ) तारीख 31 अगस्त, 2005)।

(11) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-II 2005 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 14 सितम्बर, 2005/23 भाद्र 1927 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3 – उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 581 (इ) तारीख 14 सितम्बर, 2005)।

(12) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपक्ष और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-II 2005 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 17 नवम्बर, 2005/26 कार्तिक 1927 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3 – उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 671 (इ) तारीख 17 नवम्बर, 2005)।

(13) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपक्ष और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-III 2000 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 11 अक्तुबर, 2013/19 आश्विन, 1935 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3 – उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 684(इ) तारीख 11 अक्तूबर, 2013)।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2014

Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism)(Amendment) Scheme, 2014

G.S.R. 282(E).—Central Government hereby amend the Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) Scheme, 1993, namely: -

1. This Scheme may be called the issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme, 2014.

2. The Scheme shall be deemed to have come into force from the date of publication of Notification; and

3. In the Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) Scheme, 1993;

 In Paragraph 3(1)(B)(b) the words "They shall comply with SEBI's disclosure requirements in addition to that of the primary exchange prior to the listing abroad" shall be substituted by the words "They shall comply with SEBI's disclosure requirements when they apply for listing in India".

[F.No.4/13/2012-ECB.]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy.

Foot Note:

(1). The Principal Scheme viz; Issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) Scheme, 1993, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II - Section 3 - Sub-section (i) on the 12th November 1993/Kartika 21, 1915). (Notification GSR No.700(E) dated 12th November, 1993).

(2). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme, 1999, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II - Section 3 - Sub-section (i) on the 11th November 1999/Kartika 20, 1921. (Notification GSR. N0.764(E), dated 10th November 1999).

(3). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme, 1999, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II - Section 3 - Sub-section (i) on the 19th June 2000/Jyaistha 29,1922. (Notification GSR. N0.544(E), dated 16th June 2000).

(4). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme-ll, 2000, was published In The Gazette Of India (Extraordinary) Under. Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 14th November, 2000/Kartika 23,1922. (Notification GSR. NO,865(E), dated 10th November 2000)

(5). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme-Ill, 2000, was published In The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 14th November, 2000/Kartika 23,1922. (Notification GSR. N0.866(E), dated 10th November 2000).

(6). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme, 2001 was published in The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 21st September, 2001/Bhadra 30,1923. (Notification GSR. No.687(E), dated 18th September, 2001),

(7). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme, 2002 was published in The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 13th February, 2002/Magha 24,1923. (Notification GSR. No. 100(E), dated 13-02-2002),

(8). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme II, 2002 was published in The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 30th, July 2002/Sravana 8, 1924. (Notification GSR. No.532(E), dated 29-07¬2002).

(9). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme III, 2002 was published in The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub- section(i) on 2nd, December 2002/Agrahayana 11,1924. (Notification GSR. No.789(E), dated

(10). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme I, 2005 was published in The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 31st, August 2005/Bhadra 9, 1927. (Notification GSR. No.553(E), dated 31-08¬2005).

(11). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme II, 2005 was published in The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 14th, September 2005/Bhadra 23, 1927. (Notification GSR. No.581(E), dated 14-09-2005)

(12). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme II, 2005 was published in The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 17th, November 2005/Kartika 26, 1927. (Notification GSR. No.671(E), dated 17-11-2005)

(13) Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme II, 2005 was published in The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 11th, October 2013/Asvina 19, 1935. (Notification GSR. No.684(E), dated 11-10-2013)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.